न्यायालय, अपर समाहर्ता, रांची।

एस ए आर अपील 53 आर 15/07–08

जोसेफ कुजुर अपीलकर्ता

बनाम

अमर चौधरी प्रतिवादी

आदेश

17
28.06.2008

यह अपील एस ए आर वाद संख्या 13/06–07 में उपसमाहर्ता भूमि सुधार, सदर, रॉची द्वारा दिनांक 18.07.2007 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है। निम्न न्यायालय ने निम्नांकित जमीन की वापसी हेतु प्रतिवादी द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 71 ए के अंतर्गत दाखिल आवेदन अस्वीकृत कर दिया है।

ग्राम	खाता	प्लाट	रकबा
चटवल	4	571	1.32 एकड़

अपील आवेदन में बताया गया है कि निम्न न्यायालय में उन्होंने जमीन वापसी का वाद दायर किया जिसमें प्रतिवादी उपस्थित हुए एवं जवाब दिया कि पूर्व में इसी जमीन की वापसी हेतु एस ए आर वाद दायर किया गया था जिसका निर्णय छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 71 ए के द्वितीय परन्तुक के अनुसार हुआ था। उस वाद में जमीन के बदले जमीन देने का आदेश पारित हुआ था एवं अपीलकर्ता को जमीन निबंधित वसीका द्वारा हस्तांतरित कर दिया गया है। प्रतिवादी के इस जवाब के पश्चात अपीलकर्ता द्वारा कथित रुप से उन्हें हस्तांतरित भूमि के संबंध में छानबीन की गयी तो यह पता चला कि प्रतिवादी ने उन्हें खाता नं0 41 की जमीन हस्तांतरित किया है जो गैरमजरुआ मालिक भूमि है। इस प्रकार प्रतिवादी ने पूर्व वाद संख्या 10/86–87 के दिनांक 26.8.1988 के आदेया के अनुपालन में धोखाधड़ी किया

है। ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय द्वारा रेसजुडीकाटा के आधार पर जमीन वापसी का वाद खारिज करना सही नहीं है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का बहस सुना गया। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अपील आवेदन के तथ्यों का ही उल्लेख किया एवं बताया कि अपीलकर्ता के साथ धोखाधड़ी हुआ है एवं प्रतिवादी ने न्यायालय तथा कानुन के साथ खिलवाड़ किया है।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि उनके द्वारा किसी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं की गयी है बल्कि रातु महाराजा से 1944 में बंदोबस्ती से प्राप्त भूमि का हस्तांतरण अपीलकर्ता को किया गया है। वर्तमान सर्वे में बण्डा पर्चा भी प्रतिवादी के नाम बना है एवं लगान रसीद भी निर्गत होता है।

प्रस्तुत वाद में उपलब्ध तथ्यों से स्पष्ट है कि जुनास कुजुर ने एस ए आर वाद संख्या 10/86–87 दायर किया था जिसमें 26.8.88 को पीठासीन पदाधिकारी जे. गुड़िया ने विपक्षी को उसी गॉव में उतनी ही भूमि आवेदक को उपलब्ध कराने का आदेश दिया। 21.9.88 को विपक्षी अमर चौधरी वगैरह की ओर से निबंधित पट्टा संख्या 9451 दिनांक 16.9.88 के द्वारा चटवल के खाता सं. 41 खेसरा सं. 610 रकबा 1.32 एकड़ भूमि जुनास कुजुर को हस्तांतरित कर दिया गया। वर्तमान अपीलकर्ता का कथन है कि दी गयी भूमि नाला है जिसमें पुरे बर्ष पानी रहता है और खेती के लायक नहीं है। इसकी सुपुष्टि खतियान से भी होती है।

धारा 71 ए के द्वितीय परन्तुक का प्रावधान है कि " where the Deputy Commissioner is satisfied that the transferee has constructed a substantial structure or building on such holding or portion there of before coming into force of Bihar Schedule Area Regulation 1969, he may, not with standing any provisions of the Act, validate such transfer where the transferee either makes available to the transferor an alternate holding or portion thereof as the case may be……..".

वर्तमान मामले में हाल सर्वे का पर्चा देखने से स्पष्ट होता है कि विवादित खेसरा 571 से नया खेसरा 653 बना है और अभी तक यह भूमि टॉड़ दो दर्ज है और इसका रकबा 1.32 एकड़ दर्ज है। इस प्रकार का कोई मकान प्रतिवादी का नहीं बना है। इस तरह निम्न न्यायालय द्वारा आदिवासी भूमि के बदले गैरमजरुआ नाली भूमि देकर उसे हड़प लिया गया है। भूमि का अदलैन–बदलैन तभी किया जा सकता है जब आदिवासी भूमि पर 199 के पूर्व संरचना बनी है। वर्तमान मामले में कोई संरचना का नामोनिशान नहीं है तो यह सुनिश्चित करना आवश्यक नहीं है कि मकान 1969 के पूर्व का है या बाद का।

अतएव निम्न न्यायालय द्वारा वाद संख्या 10/86–87 में दिनांक 26.8.88 को पारित आदेश गलत है; उसे निरस्त किया जाता है। अतः उस आदेश के आधार पर उपसमाहर्ता भूमि सुधार, सदर, रॉची द्वारा वाद संख्या 13/06–07 में दिनांक 18.07.2007 को पारित आदेश भी गलत है, उसे भी निरस्त किया जाता है। अंचल अधिकारी चान्हों को आदेश दिया जाता है कि अपीलकर्ता को खेसरा संख्या 571 रकबा 1.32 एकड़ पर कब्जा दिला दें। प्रतिवादी अगर चाहें तो बदलैन खेसरा संख्या 610 का निबंधन रद्द करने की कार्रवाई सक्षम न्यायालय से कर सकते हैं और अपीलकर्ता को दी गयी भूमि वापस ले सकते हैं। लेकिन यह आदेश खेसरा संख्या 610 की रामदेव चौधरी के नाम कायम जमाबंदी को न्यायसंगत नहीं प्रमाणित करेगा। अपील स्वीकृत।

दिनोकः– 27.06.2008 लेखापित एवं संशोधित।

ह0/–

अपर समाहर्ता,
रॉची।